# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

**पत्र संख्या- 191/2026** **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** **दिनांक- 18.05.2026**

**डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 18.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट दिनांक– 18.05.2026
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ पेट्रोल पम्प पर जानलेवा हमला करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड बरामद

➡️ मारपीट व हत्या के प्रयास की घटना में मुबारकपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दोनों अभियुक्त भेजे गये न्यायालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प पर हमला कर कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं जानलेवा हमला करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.05.2026 को वादी विवेक तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी निवासी छिड़ी ब्राह्मण सरैया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दी गयी कि वह विशेन बीएस पेट्रोलियम बरडीहा उर्फ गडेरूआ में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पेट्रोल देने को लेकर हुए विवाद के बाद विपक्षीगण शाम के समय 15-16 लोगों एवं एक महिला के साथ लाठी-डण्डा, रॉड आदि घातक हथियार लेकर पेट्रोल पम्प पर पहुंचे तथा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने आये सतीश चन्द सिंह के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गये।

इस सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 191/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान दिनांक 18.05.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनूप चौहान पुत्र शिवनाथ चौहान निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष तथा अभियुक्ता श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी रामलाल चौहान निवासी फैजुल्लापुर उगाहे थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष को सठियांव चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर ओझौली पुल के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का रॉड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

- ➤ अनूप चौहान पुत्र शिवनाथ चौहान निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।
- ➤ श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी रामलाल चौहान निवासी फैजुल्लापुर उगाहे थाना गंभीरपुर आजमगढ़, उम्र करीब 46 वर्ष।

बरामदगीः-

- ➤ एक अदद लोहे का रॉड (आलाजुर्म)।

पंजीकृत अभियोगः-

➤ मु0अ0सं0 191/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

➤ व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक– 18.05.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡ चाकू से जानलेवा हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

➡ कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, घायल युवक पर हमला करने वाले अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा चाकू से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादी नागेन्द्र यादव पुत्र स्व0 सर्वजीत यादव निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 17.05.2026 को उनके बड़े भाई रविन्द्र यादव बंशी बाजार में सामान लेने गये थे, जहां गांव के ही संदीप उर्फ बउवा यादव पुत्र स्व0 रामअधार यादव निवासी तलिया उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू लगने से रविन्द्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गये, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा रेफर किये जाने पर उनका उपचार ग्लोबल हॉस्पिटल आजमगढ़ में चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के क्रम में दिनांक 18.05.2026 को उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संदीप यादव उर्फ बउआ पुत्र रामअधार यादव निवासी तलिया उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को उकरौड़ा देशी शराब ठीके के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

➤ संदीप यादव उर्फ बउआ पुत्र रामअधार यादव निवासी तलिया उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

➤ घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू।

पंजीकृत अभियोगः-

➤ मु0अ0सं0 242/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

➤ उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति मय हमराह
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक– 17.05.2026
थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

➡ साइबर फ्रॉड में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 मोबाइल फोन व ₹1600 नगद बरामद

➡ फर्जी साइबर अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह पर साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। साइबर फ्रॉड के संगठित गिरोह से जुड़े एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन एवं ₹1600 नगद बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.01.2025 को वादी नागेन्द्र मिश्र पुत्र स्व0 हरिनारायण मिश्र निवासी ग्राम झोटीपुर पोस्ट महाराजगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर राजेश मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा कॉल कर स्वयं को साइबर क्राइम अधिकारी बताते हुए वादी के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज होने की बात कही गयी। गिरफ्तारी का भय दिखाकर व मामले के निस्तारण के नाम पर वादी से विभिन्न खातों में कुल ₹34,87,998/- जमा करा लिये गये। इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 08/2025 धारा 318(4), 319(2), 204, 351(4) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 337, 338 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचना के क्रम में पूर्व में अभियुक्त कौशिक सरवैया एवं भगीरथ सिंह जाला को गुजरात तथा अभियुक्त आदिल हुसैन को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 रियाज उर्फ तन्नू पुत्र मो0 रईस अहमद निवासी कैन्ट रोड उदयगंज थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष को दिनांक 17.05.2026 को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 204, 318(4), 319(2), 317(2), 351(4), 337, 338 बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड में संलिप्त है तथा टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विदेशी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर साइबर अपराध से अर्जित धनराशि के सेटलमेंट हेतु बैंक खाते उपलब्ध कराता था। खातों में प्राप्त धनराशि निकालकर कुछ हिस्सा आपस में बांट लेते थे तथा शेष रकम USDT खरीदकर विदेशी साइबर अपराधियों के निर्देशानुसार ट्रांसफर कर देते थे।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

➤ मो0 रियाज उर्फ तन्नू पुत्र मो0 रईस अहमद निवासी म0नं0 51/1 कैन्ट रोड उदयगंज थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

➤ 02 अदद मोबाइल फोन

➤ ₹1600 नगद

पंजीकृत अभियोगः-

➤ मु0अ0सं0 08/2025 धारा 204, 318(4), 319(2), 317(2), 351(4), 337, 338 बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

➤ म0नि0 विभा पाण्डेय, थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़।

➤ उ0नि0 रजत सिंह, थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़।

➤ का0 संजय कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़।

➤ का0 सभाजीत मौर्य थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़।

➤ का0 विकास कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़।
सम्पूर्ण कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गयी।

*प्रेस नोट दिनांक– 18.05.2026*
*थाना पवई, जनपद आजमगढ़*

➡ *अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार*

➡ *पवई पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पवई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 10.05.2026 की रात्रि में उसके पति द्वारा शराब के नशे में वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष के साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरन दुष्कर्म किया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 113/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के क्रम में दिनांक 18.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र बरखू निवासी ग्राम गालिबपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को कलान चौराहे के पास से समय करीब 05:20 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी गलती की माफी मांगी गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-*

➤ रोहित पुत्र बरखू निवासी ग्राम गालिबपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।
*पंजीकृत अभियोगः-*

➤ मु0अ0सं0 113/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
*आपराधिक इतिहासः-*

➤ मु0अ0सं0 113/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

➤ मु0अ0सं0 005/2025 धारा 189(2), 195(1), 126(1), 223, 285, 133 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-*

➤ प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह

➤ व0उ0नि0 गोपाल जी

➤ का0 अमित पाल

➤ का0 राकेश गोंड का0 यशपाल गुप्ता थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक– 18.05.2026
थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा करने के मामले में वांछित ग्राम प्रधान गिरफ्तार

➡️ फर्जी पाण्डुलिपि एवं कूटरचित हस्ताक्षर के माध्यम से मतदाता सूची में हेरफेर करने के प्रकरण में जीयनपुर पुलिस की कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पंचायत निर्वाचन से संबंधित मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा एवं कूटरचना के मामले में वांछित अभियुक्त ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि तहसील सगड़ी में कार्यरत राजस्व निरीक्षक द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अन्तर्गत विकास खण्ड अजमतगढ़ की मतदाता पाण्डुलिपियों की जांच के दौरान ग्राम अंजान शहीद वार्ड संख्या 10 से 15 से संबंधित फर्जी पाण्डुलिपि सम्मिलित पायी गयी, जिसमें मतदाताओं के परिवर्धन एवं विलोपन से संबंधित अभिलेखों पर बीएलओ, सुपरवाइजर तथा अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किये गये थे। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विकास खण्ड अजमतगढ़ में कार्यरत कर्मचारी संतोष भाष्कर द्वारा ग्राम प्रधान मोहम्मद अजीम, उसके सहयोगी नदीम तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी पाण्डुलिपि तैयार कर सही सूची में सम्मिलित करायी गयी, जिससे मतदाता सूची में अवैध रूप से हेरफेर किया गया। इस सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0220/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के क्रम में दिनांक 18.05.2026 को उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद नुमान खान निवासी ग्राम अंजान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को पकवाइनार मोड़ स्थित नन्दू की चाय दुकान के पास से समय करीब 06:50 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी गलती की माफी मांगी गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

➤ मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद नुमान खान निवासी ग्राम अंजान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोगः-

➤ मु0अ0सं0 0220/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहासः-

➤ मु0अ0सं0 0220/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

➤ मु0अ0सं0 525/2022 धारा 34, 352, 427, 504, 506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

➤ मु0अ0सं0 133/2021 धारा 147, 323, 504, 304, 452 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

➤ उ0नि0 दल प्रताप सिंह, थाना जीयनपुर

➤ का0 अक्षय प्रसाद, थाना जीयनपुर

➤ का0 अवधेश कुशवाहा, थाना जीयनपुर।